न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बिरौल, दरभंगा

Biraul P.S.- 16/2020
GR- 35/2020

03.02.2020

आवेदक काराधीन अभियुक्त 1. मुरारी कुमार ठाकुर 2. प्रकाश कुमार ठाकुर को उपकारा बेनीपुर से न्यायालय में उपस्थापित किया गया।

बवाच पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक काराधीन अभियुक्तगण नाबालिग हैं। अतः इनके वाद अभिलेख को JJB दरभंगा स्थानांतरित किया जाए।

आवेदन पर विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

उभय पक्षों को सुनने तथा अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत कांड में काराधीन अभियुक्त मुरारी कुमार ठाकुर की ओर से दाखिल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के प्रमाण–पत्र में जन्म तिथि 05.04.2003 है, जिससे वर्तमान में अभियुक्त की उम्र लगभग सोलह वर्ष 10 माह है, जबकि अन्य काराधीन अभियुक्त प्रकाश कुमार ठाकुर द्वारा दाखिल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा जारी प्रमाण–पत्र में जन्म तिथि 25.05.2003 है, जिससे वर्तमान में अभियुक्त की उम्र लगभग 16 वर्ष 9 माह है। ऐसी स्थिति में दोनों काराधीन अभियुक्त नावालिग हैं। देखने से भी दोनों अभियुक्त नाबालिग दिखते हैं। ऐसी स्थिति में संपूर्ण वाद को अग्रेतर कार्यवाही हेतु JJB, दरभंगा में भेजना न्यायोचित प्रतीत होत है।

अतः कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि संपूर्ण वाद अभिलेख को JJB, दरभंगा स्थानांतरित करें तथा इसकी सूचना थानाध्यक्ष, बिरौल को देकर निर्देश दें कि इस वाद से संबंधित सभी अग्रेतर कार्यवाही JJB, दरभंगा से करें तथा काराधीक्षक, बेनीपुर को निर्देश दें कि दोनों कारधीन अभियुक्तों को यथाशीघ्र **JJB**, दरभंगा के समक्ष उपस्थापित करें। कार्यालय इस संदर्भ में अतिशीघ्र पत्र निर्गत करें।

(लेखापित)

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी